

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, हाथरस

पत्रांक— 646 / निविदा / 50 दिनांक— 16.05.2016

—: निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की ओर से निम्नलिखित कार्या हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम, आगरा, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस से दिनांक— 13.06.2016 से 15.06.2016 की अपरान्ह 17:00 बजे तक कार्य दिवस में ड्राफ्ट के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं। भरे हुए निविदा प्रपत्र इन्हीं कार्यालयों में दिनांक— 16.06.2016 को अपरान्ह 15:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक— 18.06.2016 की अपरान्ह 12:30 बजे से षासन के पत्र संख्या— 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक— 26 फरवरी, 2007 एवं 4435/छ:पु-14-06-50(7)/2006 दि0 02 नवम्बर, 2006 में दिये गये निर्देशों की प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य की प्रस्तावित अवधि	पंजीकरण की श्रेणी	टर्न ओवर (रू0 लाख में)	हैसियत (रू0 लाख में)	अनुभव प्रमाण—पत्र (इनमें से कोई एक संलग्न करना आवश्यक है)
1	जनपद—हाथरस के विकास खण्ड—सासनी की तिलौठी ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत टर्न की आधार पर निर्माण कार्य मय समस्त सामग्री व लेवर सहित								कार्य की लागत के = 40: के 3 = 50: के 2 = 80: के 1
पद्ध	वितरण प्रणाली	97०309							
	योग	97०309	1०50	5000००0 14 : वैट	12 माह	(ए) एवं (बी)	29.19	38.92	

नियम व शर्तें :-

- निविदाएं जल निगम में उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रेणी एवं कैटेगरी (1. वाटर सप्लाय कार्य (ए) रिजरवायर (बी) पाइप लाइन कार्य अथवा 8 (ए) टर्न की प्रोजैक्ट वाटर सप्लाय में पंजीकृत ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी। निविदा के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (वैध अवधि का, जो भी हो) व्यापार कर क्लीयरेंस, आयकर क्लीयरेंस का मूल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- कोई भी एक अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

3. निविदा के साथ रू0 100.00 मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर जो निविदा के साथ संलग्न है, प्रत्येक दशा में देना अनिवार्य है, जिसके अभाव में निविदा पर विचार सम्भव नहीं होगा। निविदा स्वीकृति उपरान्त विभागीय आदेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देनी होगी।
4. धरोहर राशि किसी भी पोस्ट ऑफिस की टी0 डी0 आर0, एन0 एस0 सी0, अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0, सी0 डी0 आर0, जा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, हाथरस के पद नाम पर बंधक हो, के रूप में होनी चाहिए। निविदा डाले जाने के समय निर्धारित धरोहर राशि का सीलबन्द लिफाफा पृथक से एवं मूल निविदा प्रपत्र का लिफाफा पृथक से दिया जाना अनिवार्य है, जिस पर कार्य का नाम, आमन्त्रित तिथि, विभाग एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर प्रत्येक निविदा के लिये रू0 200.00+टी0टी0 अतिरिक्त देना होगा, लेकिन निविदा समय से प्राप्त न होने, अथवा खो जाने का विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में भाग लिये जाने की अनुमति नहीं है। यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है तो ऐसा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निविदा आमंत्रण एवं खोले जाने की दिनांक में राजकीय अवकाश होने पर स्वतः ही अगले कार्य दिवस में कार्यवाही सम्पन्न होगी।
8. उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 13.06.2016 से 15.06.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में इस खण्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़, मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं जिलाधिकारी, हाथरस के कार्यालय में भी विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं निविदा उपरोक्त कार्यालयों में भी डालने हेतु निविदा बॉक्स उपलब्ध रहेगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। ऐसी निविदाएं स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी।
10. भुगतान से पूर्व योजना को प्रभारी अभियन्ता की संतुष्टी के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण करके सम्बंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
11. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृती पत्र में दी गयी निर्धारित अवधि तक अनुबंध की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण न करने और/अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. उक्त शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है।
13. विभाग में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के निकट संबंधियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय अपने निकट संबंधियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय ऐसा कोई तथ्य छिपाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा/अनुबंध (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) अबिलम्ब निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदादाता/ठेकेदार को दैय समस्त धनराशि विभाग के हित में जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।
14. यदि निविदादाता / ठेकेदार (अनुबंध बन जाने की स्थिति में) द्वारा विभाग को किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचायी जाती है तो विभाग द्वारा उसकी बसूली राजस्व की भाँति की जा सकती है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता/ठेकेदार का होगा।

15. जिन ठेकेदारों द्वारा विभागीय दरों से कम दरों पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं० 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी०सी० - 2 लखनऊ दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी अनिवार्य रूप से ली जायेगी।
16. अनुबंध पूर्ण करने हेतु अपनी समस्त लेबर की बीमा पॉलिसी जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार एवं सेवा शर्त विनियम (अधिनियम-1996) तथा उ०प्र० नियमावली के अर्न्तगत श्रम उपायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. आयकर/बिक्रीकर आदि सभी प्रकार के करों की कटौती विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
18. निविदा में दी गयी दरों की वैधता निविदा खुलने के दिनांक से 120 दिन तक मान्य होगी।

(पी०के० खण्डेलवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक-

प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन०आई०सी० कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी०डी० सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डलान्तर्गत)
9. श्री आर०के० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हाथरस

पत्रांक— 646 / निविदा / 50 दिनांक— 16.05.2016

—: निविदा सूचना :-

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद—हाथरस के विकास खण्ड—सासनी की तिलौठी ग्राम पे०यो० पर पाइप लाइन कार्य हेतु टर्न की आधार पर निविदा की बिक्री दिनांक 13.06.2016 से 15.06.2016 तक कार्यालय समय में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, आगरा, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़, जिलाधिकारी, हाथरस एवम् अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से की जायेंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा सूचना में दिया गया है। निविदा के कार्यों का विस्तृत विवरण जल निगम की वेब साईट ['गन्ध्रछण्डक'](#) से अथवा सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(पी०के० खण्डेलवाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०

/निविदा/

उक्त दिनांक—

प्रतिलिपि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, 6—राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को छः प्रतियों में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्रों में कम से कम दो बार एक दिन के अन्तराल पर एवं जल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, आगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अलीगढ़।
4. जिलाधिकारी, हाथरस।
5. इन्चार्ज, एन०आई०सी० कलैक्ट्रेट परिसर, हाथरस को सी०डी० सहित इस आशय से प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।
6. अपर जिलाधिकारी, हाथरस।
7. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (मण्डान्तर्गत)
9. श्री आर०के० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता (खण्डान्तर्गत) को ड्राफ्ट टैण्डर बनाने हेतु।
10. खण्डीय लेखाकार/जूनियर इंजीनियर (तकनीकी)/मुख्य लिपिक
11. नोटिस बोर्ड/समस्त पंजीकृत ठेकेदार।

अधिशासी अभियन्ता